Over 3,545 challans issued to traffic violators in city

DP **CORRESPONDENT**
Chandigarh

In special drives initiated by Chandigarh Traffic Police this year 3,545 challans were issued for the violation of wrong parking in the city. Confirming double the increase in the violation of wrong parking until this Thursday last year a total number of 1,478 offenders were booked by Chandigarh Traffic Police.

Chandigarh Traffic Police is also regularly conducting special drives against drunken driving in the city. On the night of February 21, Chandigarh Traffic Police booked 68 persons for the violation of drunken driving in the city.

More to READ

Under Section 185 of Motor Vehicle Act, 1988, offender of drunken driving shall be punishable for the first offense with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to two thousand rupees, or with both. Under Section 20 (2) of MV Act, 1988, drunken driving offender's driving license shall be disqualified for the period of not less than six months. A strict action shall be continued to be taken against above-said violations as per law.

Daily Post Dt:24-02-2018

24 घंटे से पहले बच्ची से दुष्कर्म का आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे

बस स्टैंड पहुंचने से पहले सेक्टर-39 थाने ने आरोपी को किया काबू

शहर से फरार होने के लिए आरोपी ने बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन के लिए लेनी थी बस, फिर निकलना था यूपी

संदीप खत्री

चंडीगढ़। टॉफी के बहाने तीन साल की बच्ची से रेप के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिन-रात एक कर दी। घटना को अंजाम देने वाला आरोपी भूरा गुसाईं शहर छोड़कर फरार होने की योजना बना चुका था।

एसएसपी निलांबरी जगदले के नेतृत्व में गठित कि गई इंस्पेक्टर रंजीत सिंह कि टीमों ने शहर के सभी बोर्डर एरिया पर नाकाबंदी की। रेलवे स्टेशन और चंडीगढ़ के दोनों बस स्टैंड पर टीमें तैनात कि गई। वीरवार रात को आरोपी इधर-उधर छिप कर बैठा रहा। शुक्रवार शाम करीब चार बजे पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि आरोपी शहर से फरार होने के लिए चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन जा रहा है। आरोपी ने सेक्टर-17 बस स्टैंड से बस लेकर रेलवे स्टेशन जाना था। लेकिन पुलिस ने आरोपी को बस स्टैंड पहुंचने से पहले ही दबोच लिया।

आरोपी यूपी फरार होने की फिराक में था। पकड़े गए आरोपी की पहचान यूपी के जिला श्रावस्ती के रहने वाले 23 वर्षीय भूरा गुसाईं के तौर पर हुई है। पुलिस इसे शनिवार को कोर्ट में पेश करेगी। भूरा शहर में कैटरिंग का काम करता था। पुलिस ने वीरवार शाम को आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376(2), पोक्सो एक्ट 6 के तहत केस दर्ज किया था।

आरोपी नहीं रखता था फोन, केस ट्रेस करने में आई मुश्किल

किसी भी शख्स तक पहुंचने के लिए उसके मोबाइल की टॉवर लोकेशन और कॉल डिटेल ही पुलिस के पास सबसे पहला ऑप्शन होता है। लेकिन आरोपी भूरा अपने पास मोबाइल नहीं रखता था। इसलिए उसे गिरफ्तार करने में पुलिस को काफी मुश्किलें आई। लेकिन पुलिस ने किसी तरह आरोपी के सुराग लगाए और उसे गिरफ्तार किया।

लड़की किडनैपिंग केस में पहले भी हो चुका है गिरफ्तार

आरोपी भूरा गुसाई पर लड़की किडनैप करने का भी आरोप है। मामले में उसके खिलाफ वर्ष 2013 में यूपी के जिला श्रावस्ती अंतर्गत में आने वाले पुलिस स्टेशन सिरसिया में केस दर्ज हुआ था। इस केस में आरोपी जेल भी गया था। कोर्ट से उसे जमानत मिल गई थी। जिसके बाद वह कोर्ट में अपनी तारीख पर नहीं गया और फरार होकर चंडीगढ़ रहने लगा। यह मामला वहां की कोर्ट में विचाराधीन है।

15 वर्षीय से रेप का आरोपी न्यायिक हिरासत में

15 वर्षीय से रेप का आरोपी न्यायिक हिरासत में सेक्टर-40 में 15 वर्षीय से रेप करने वाला आरोपी राहुल चावला को पुलिस ने शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में बुडैल जेल भेज दिया। वहीं पीड़िता के कोर्ट में 164 के ब्यान दर्ज हुए। आरोपी के अनुसार सेक्टर-25 निवासी राहुल चावला वहीं कि रहने वाली पीड़िता को अपनी बातों में बहला फुसलाकर सेक्टर-40 के एक मकान में ले आया था। जहां उसने उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया था।

बच्ची से घिनौनी हरकत करने वाले आरोपी भूरा गुसाईं को सेक्टर-17 के बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी शहर छोड़कर फरार होना चाहता था। उसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा।

- रंजीत सिंह, कार्यवाहक एसएचओ पुलिस स्टेशन सेक्टर-39

Jag Marg Dt: 24/02/2018